संख्याः 435 /X-4-16/1(124)/2016

प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, इंदिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 20 मई, 2016

विषयः–जनपद–चमोली के अंतर्गत गोपेश्वर मंदिर मोटर मार्ग से वेतरणी–सिरोखोमा–सिटुणा –बैरांगना–तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.00 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3076/1जी–FP/UK/ROAD/12970/2015, दिनांक 12.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अभिलेख/सूचनाएं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. ग्राम पंचायत बैरागना व देवलधार की अनुमति/अनापत्ति निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।
2. चिन्हित संरेखण से आच्छादित हो रहे भूमिधरों के साथ निर्धारित प्रारूप पर संपादित अनुबंध पत्र/समुचित अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड नही है।
3. मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के संबंध में संबंधित पक्ष/विभाग के साथ संपादित अनुबंध का विवरण संलग्न नही है। मक डिस्पोजल स्कीम/आख्या/तुलनात्मक विवरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर अपलोड/उपलब्ध नहीं कराया गया है।
4. प्रस्तावित मार्ग की वन्य जीव अभ्यारण्य/केदारनाथ वन्य जीव विहार की सीमा से दूरी 10 किमी0 के अन्दर दर्शाया गया है। क्या भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रकरण में समुचित अधिकारी/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की आख्या अपेक्षित नही है ? नियमानुसार स्थिति स्पष्ट करें।

भवदीय,
Akhilesh
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

संख्याः 435 (1)/ X-4–16/1(124)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर, चमोली।

आज्ञा से,
Akhilesh
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।